मु.नं.–48 / 2021 GCMS ID-2021/83 ता.रजु–24.06.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

कृष्ण कुमार त्रिपाठी (हाइकोर्ट एडवोकेट) पता ए–108, अभिनंदन नगर, सुकलिया, इन्दौरा – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 14.07.2021, 22.07.2021, 29.07.21, 02.08.21, 11.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र, कैलादेवी रोड, जीएसएस कॉलोनी, वैशाली नगर, करौली के संबंध में (1) प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र करौली में कार्यरत सम्पूर्ण स्टाफ / ट्रेनर (स्त्री, पुरुष दोनों) मय नाम पद आदि की सूचना, (2) कार्यरत स्टाफ का वेतन, नियुक्ति और योग्यता की सूचना (यदि संभव हो) की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध जिला कौशल समन्वयक करौली से होने के कारण निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी का आवेदन जिला कौशल समन्वयक, करौली को अंतरित कर दिया गया था जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित की गई थी। अंत में अपील अपीलार्थी ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को जिला कौशल समन्वयक, करौली को अंतरित कर दिया गया है एवं अपीलार्थी को अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। जिला कौशल समन्वयक, करौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, करौली नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने एवं उसके उपस्थित नहीं आने से यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त विनिश्चय से संतुष्ट है। अतः हम अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अपीलार्थी संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी के न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली